समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Thursday, 24 September 2026

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्रं शासित प्रदेशों को निर्देश दिए, हाईवे और सड़कों से हटाएं आवारा पशु

Publisher

Published on 07 Nov 2025

सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा को लेकर सभी राज्यों की सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि हाईवे और मुख्य सड़कों पर आवारा पशुओं की उपस्थिति न केवल सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनती है, बल्कि आम जनता के जीवन और संपत्ति के लिए भी खतरा पैदा करती है। इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

अदालत ने कहा कि आवारा पशुओं की समस्या को गंभीरता से लेना आवश्यक है। हाईवे और राष्ट्रीय मार्गों पर अक्सर ऐसे पशु दिखाई देते हैं, जो वाहन चालकों के लिए खतरा बन जाते हैं। सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलकर प्रभावी कदम उठाने होंगे ताकि सड़कें सुरक्षित बन सकें।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को यह भी आदेश दिया कि आवारा पशुओं के लिए सुरक्षित आश्रय और संरक्षण के उपाय किए जाएँ। अदालत ने स्पष्ट किया कि पशुओं को हटाने की प्रक्रिया में उनकी सुरक्षा और संरक्षण का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके तहत सभी राज्य सरकारें आवारा पशुओं के लिए पालतू संरक्षण गृह या खुले क्षेत्रों की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

न्यायालय ने यह आदेश उन राज्यों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया है जहां सड़क दुर्घटनाओं में आवारा पशुओं की वजह से प्रतिवर्ष कई लोग घायल या मौत के शिकार होते हैं। अदालत ने कहा कि यह केवल सड़क सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक सुरक्षा का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश दिए कि वे इस दिशा में एक संयुक्त रणनीति अपनाएँ। इसमें सड़क किनारे आवारा पशुओं की निगरानी, संरक्षण के लिए उचित व्यवस्थाएँ और सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन शामिल होगा। अदालत ने सभी राज्यों से रिपोर्ट भी मांगी है कि उन्होंने इन निर्देशों को कितने प्रभावी ढंग से लागू किया है।

विशेषज्ञों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश समय पर आया है। पिछले वर्षों में हाईवे और सड़कों पर आवारा पशुओं की वजह से हुए हादसे लगातार बढ़ते रहे हैं। इसके कारण न केवल मानव जीवन को खतरा है, बल्कि वाहन और अन्य संपत्ति को भी नुकसान होता है। इसके साथ ही, यह आदेश पशुओं के कल्याण और उनके सुरक्षित संरक्षण की दिशा में भी एक सकारात्मक कदम है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना सभी राज्यों के लिए अनिवार्य है। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब सुनिश्चित करना होगा कि सड़क किनारे आवारा पशुओं के लिए पर्याप्त इंतजाम किए जाएँ और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस आदेश का पालन न करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

इस आदेश से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने की संभावना है और साथ ही आम जनता की सुरक्षा भी बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आवारा पशुओं की समस्या केवल निवारण की नहीं है, बल्कि इसे दीर्घकालिक समाधान के रूप में देखना होगा। इसके लिए राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर योजना बनाएं और नियमित निगरानी सुनिश्चित करें।

कुल मिलाकर, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक सख्त चेतावनी और मार्गदर्शन दोनों है। हाईवे और सड़कों पर आवारा पशुओं को हटाना अब केवल विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्य जिम्मेदारी बन गई है। अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसके लिए प्रभावी और तत्काल कदम उठाने होंगे।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.